

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
कार्यालय विज्ञापित

दिनांक: फरवरी 17, 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, लखनऊ में 03 रिक्त संविदा कर्मियों की नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश सं० 1963/सात-न्याय-2-2000-41जी/97, दिनांक 19.10.2000 के साथ पठित शासनादेश सं० 15/2016/1111/ सात-न्याय-2-2016-41जी/97, दिनांक 10.08.2018 में गृहित शर्तों के अधीन संविदा के आधार पर नियत वेतन रू० 8,840/- प्रतिमाह की दर से रिक्त 03 संविदा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रारूप पर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। **शासनादेश सं० 1963/सात-न्याय-2-2000-41जी/97, दिनांक 19.10.2000 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत तय किये गये मानकों के अधीन कार्य कराया जाना है। जिसके अंतर्गत एक सफाई कर्मचारी द्वारा कम से कम पांच न्यायालय कक्षों तथा उससे सम्बद्ध कार्यालय/शौचालय आदि के साफ सफाई के कार्य का निष्पादन भी अपेक्षित है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त इन सफाई कर्मचारीगण से सम्पूर्ण परिसर/नालियाँ इत्यादि का भी सफाई का कार्य भी लिया जाता है। चयनित सफाई कर्मचारी पूर्णतया संविदा पर ही होंगे तथा कोई भी संविदा सफाईकर्मी कभी नियमित होने का दावा नहीं कर सकेगा।** आवेदन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 07.03.2026 को जनपद न्यायालय, लखनऊ के पुराना उच्च न्यायालय परिसर स्थित मीडिएशन कक्ष में होगा जिसमें सभी आवेदनकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। साक्षात्कार में पदों के सापेक्ष पाँच गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे, तथा उन्हें प्रयोगिक परीक्षा दिनांक 16.03.2026 को जनपद न्यायालय लखनऊ में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार 50 अंको का होगा तथा प्रायोगिक परीक्षा भी 50 अंको की होगी, अंतिम चयन सूची साक्षात्कार तथा प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर तैयार की जायेगी। उपरोक्त से संबंधित आवेदन पत्र कार्यालय केंद्रीय नजारत अनुभाग में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे सायं 05:00 तक प्राप्त किये जायेंगे।

आवेदक हेतु नियम व शर्त:-

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
3. अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा सफाई कार्य करने में सक्षम हो।
4. कार्य संतोषजनक न होने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या जाली दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को संस्थान के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 5 वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त वरीयता प्रदान नहीं की जायेगी।
8. प्रायोगिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई करायी जायेगी।


अध्यक्ष, 17.02.26

चयन उप-समिति/प्रथम अपर जिला एवं
सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

आवेदन-पत्र

- 1- आवेदक का नाम
- 2- पिता/पति का नाम
- 3- स्थाई पता
- 4- पत्र व्यवहार का पता
- 5- धर्म
- 6- मोबाइल नं०
- 7- जन्म तिथि वर्ष.....माह.....दिन.....

अंको में..... शब्दों में.....

- 8- शैक्षिक योग्यता यदि है तो उसका उल्लेख करते हुए उससे संबंधित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।

1.

2.

- 9- आधार कार्ड सं० व छायाप्रति संलग्न करें।

- 10- क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद दर्ज है। यदि हाँ तो उसका विवरण।

.....

- 11- आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। यदि आपके एक से अधिक पति/पत्नियों है, तो उसका विवरण।

.....

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री..... उम्र निवासी.....

..... घोषण करता/करती हूँ कि उपरिवर्णित उल्लिखित सूचना मेरे निजी ज्ञान से सत्य है, मेरे द्वारा किसी प्रकार के तथ्य को छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरी की जाने वाली नियुक्ति निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन सुरक्षित होगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

पता:-

.....

स्व प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो